राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हनुमान बनाम लालूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/02/2026	491/2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. ने भी पूर्व में प्रस्तुत अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया	अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/02/2026 को पेश हो		
13/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ग्राम दंभा का बास पटवार हल्का आलीसर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हस्तेडा तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 122 रकबा 0.74 है. बारानी 3, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.27 है. बारानी-3, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.17 है. बारानी 3, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.16 है. बारानी-3, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.07 है. चाही-2, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.27 है. जाव-2, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.34 है. चाही 2. कुल किता 7 का कुल रकबा 2.02 है. के खातेदार काश्तकार हैं एवं कृषि कार्य करके आराजी खसरा नम्बर 131 में निवास करके आबाद हैं। प्रार्थीगण को अपने उपरोक्त खेतों में से ग्राम आलीसर, हस्तेडा एवं दम्बा के बास जाने के लिये कटानी रास्ते का अभाव हैं एवं प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 131 से 133 एवं 135 की मेड होकर आते जाते रहे हैं। लेकिन जब से यह कानून आया है कि रास्ता डी. एल. सी. रेट पर ही दिया जा सकता हैं। उपरोक्त दोनों खातेदार काश्तकार जिनके खसरा नम्बर 135 रकबा 0.72 है. एवं खसरा नम्बर 133 रकबा 0.24 है. चाही-2 भूमि से नही आने देते एवं प्रार्थीगण अपनी कृषि उपज को नजदीकी मार्केट अथवा बडे गांव दम्बा का बास आलीसर, हस्तेडा इत्यादि में लाने व ले जाने व आने जाने में दिक्कते उठा रहे हैं। राज्य सरकार का यह कानून आ चुका हैं कि कीमतन रास्ता दिया जा सकता हैं। प्रार्थी खसरा नम्बर 130 से 131 में जाने के लिये कोई रूकावट नही है क्योंकि खसरा नम्बर 131 प्रार्थीगण का ही खेत हैं। लेकिन खसरा नम्बर 133 जो मंगलचन्द पुत्र भगताराम जाति बागडा ब्राह्मण खसरा नम्बर 135 जो अप्रार्थी संख्या 2 लगा 13 का हैं, उसमें से होकर प्रार्थीगण को जाने नही दिया जा रहा हैं, एवं निकटतम रास्ता उपरोक्त दोनो नम्बरों में से ही हैं एवं अन्य वैकल्पिक रास्ता नही हैं। अगर यह रास्ता नही मिला तो प्रार्थीगण अपनी कृषि उपज को बाजार में ले जाने एवं बाजार से खाद्य बीज लाने व टेक्ट्रर से आने जाने में रूकावट रहने के कारण वाजिब कीमत प्राप्त नही कर सकेंगे		

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हनुमान बनाम लालूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

491/2020

एवं कृषि कार्य का विकास करके अपनी आय में बढोत्तरी भी नही कर सकेंगें। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि एवं आम रास्ते के भूमि के मध्य में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जिसका तकरीबन 70 मीटर दूरी पर रास्ता स्थित हैं, तथा प्रार्थी उक्त रास्ते से अपने खेतों पर आते जाते रहते हैं और अपना कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। खसरा नम्बर 133 व 135 से प्रार्थीगण के खेतों पर कृषि कार्यों एवं उपयोग हेतु आम रास्ते की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थीगण को अन्य कोई रास्ता अपने खेतों पर आने जाने का नही है। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या NO F3 (2) REV.6/03/PT/7 DATE 02-03-2012 द्वारा रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर नजदीकी रास्ते से अडवा खातेदारान् की भूमि से रास्ता दिलावाये जाने का प्रावधान किया। चूंक प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि के उपयोग, उपभोग एवं आवास हेतु तथा अपने रोज मर्रा के जीवनयापन के लिये उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता राज्य सरकार के परिपत्र एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अन्तर्गत दिया जाना नितान्त आवश्यक हैं। प्रार्थना पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व मानचित्र में अंकन किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें कि वह प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ते में कोई बाधा कारित नही करें। अन्य हितकर सहायता जो श्रीमान् उचित समझे अता फरमावें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | अप्रार्थी संख्या 1,7 व 8 की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किये गया एवं शेष अप्रार्थीगण के अनुपस्थित आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमला में लायी गयी | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09/09/2020 पारित करते हुये प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करते हुये रास्ता कायमी के आदेश पारित किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को उनकी बहस मन जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया |

अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं तहसीलदार से प्राप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हनुमान बनाम लालूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	491/2020	

रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये रास्ता कायमी का आदेश प्रदान किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | विधि के प्रावधानों के अनुसरण में भी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को उन्नत कृषि हेतु उसकी खाते की आराजीयात तक कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09/09/2020 में कोई त्रुटी प्रतीत नही होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |